NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 24-01-2026

विषय सूची

राष्ट्रीय बालिका दिवस

2024-25 में विदेशों में स्थित 71 भगोड़े (Fugitives)

एक जिला एक उत्पाद (ODOP)

संक्षिप्त समाचार

सोम्यनारायण पेरुमल मंदिर

ग्रंथ कुटीर

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

वंदे मातरम् और राष्ट्रीय सम्मान पर परिचर्चा

डोनबास

फ्रांज़ एडेलमैन पुरस्कार

उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस

यस बैंक शेयर बिक्री में इनसाइडर ट्रेडिंग की त्रुटियाँ : SEBI की चेतावनी

प्रकाश गंगा झाँकी

राष्ट्रीय बालिका दिवस

संदर्भ

- राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है।

परिचय

- राष्ट्रीय बालिका दिवस 2008 से प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जा रहा है।
- **मंत्रालय:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD)।
- यह भारत में बालिकाओं के अधिकारों, सशक्तिकरण और समान अवसरों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देता है।

भारत में बालिकाओं के अधिकार सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ

- **पुत्र वरीयता की सांस्कृतिक प्रवृत्ति:** पुत्रों को परिवार का नाम आगे बढ़ाने, धार्मिक अनुष्ठान करने और वृद्धावस्था में आर्थिक सहारा देने के लिए प्राथमिकता दी जाती थी।
  - इससे पुत्रियों की उपेक्षा हुई, जिन्हें दहेज प्रथा के कारण आर्थिक भार माना जाता था।
- **लैंगिक भेदभाव:** बालिकाओं को पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित किया गया, जिससे महिलाओं में मृत्यु दर अधिक रही।
- **कन्या भ्रूण हत्या:** कुछ क्षेत्रों में बालिकाओं को कम मूल्यवान समझकर त्याग दिया जाता था या उनकी हत्या कर दी जाती थी।
- **लिंग-चयनात्मक गर्भपात:** अल्ट्रासाउंड जैसी चिकित्सा तकनीकों ने लिंग-चयनात्मक गर्भपात को संभव बनाया, जिससे पुत्र जन्म की संख्या असमान रूप से बढ़ी।
- **आर्थिक कारक:** कृषक समाजों में पुत्रों का श्रम कृषि कार्य के लिए अधिक मूल्यवान माना जाता था, जिससे पुत्र वरीयता सुदृढ़ हुई।
- **शिक्षा तक पहुँच का अभाव:** विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुँच ने बालिकाओं के भविष्य के अवसरों को प्रभावित किया।
- **सुरक्षा और संरक्षा:** लैंगिक हिंसा की उच्च दरें, जिनमें यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और तस्करी शामिल हैं।
- **बाल विवाह:** ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह की व्यापकता, जिसने महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वायत्तता को प्रभावित किया।
- **सामाजिक मानदंड और अपेक्षाएँ:** कठोर सामाजिक भूमिकाएँ, जो महिलाओं की स्वतंत्रता और आत्म-अभिव्यक्ति तथा विकास के अवसरों को सीमित करती हैं।

सरकारी पहल

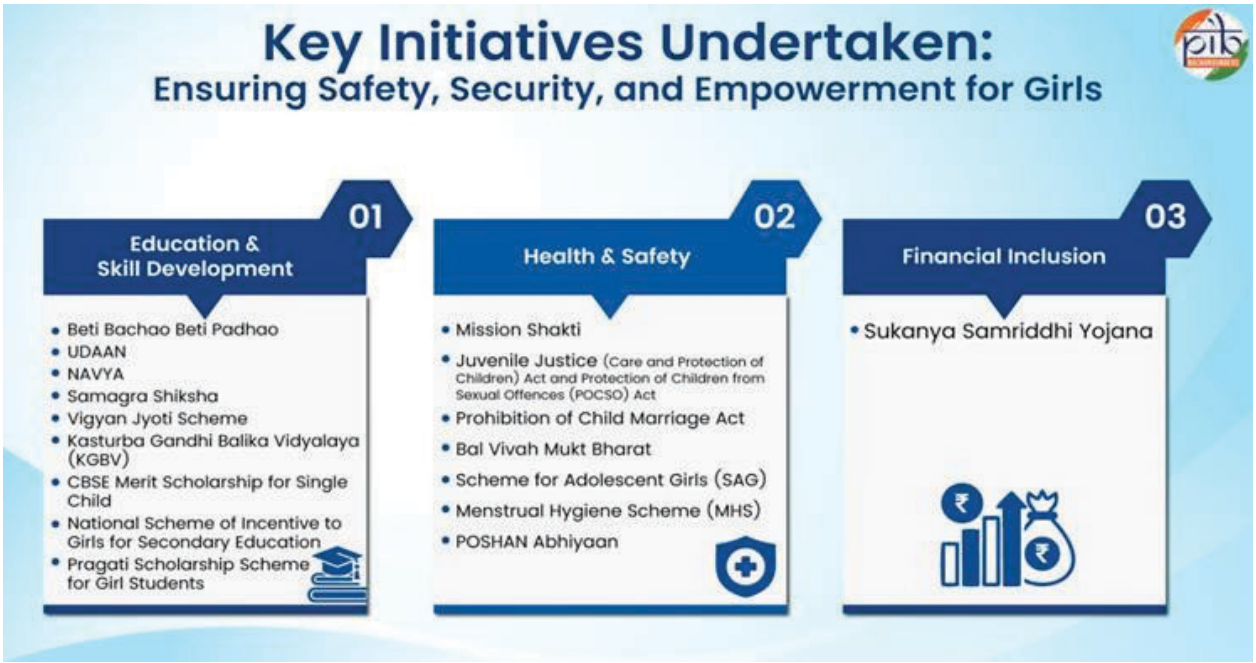

उपलब्धियाँ

- **लिंगानुपात में सुधार:** सतत प्रयासों, विशेषकर *बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP)* योजना के अंतर्गत, उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) 2014-15 में लगभग 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 तक पहुँच गया है।
- **बालिका शिक्षा में प्रगति:** 2024-2025 की अवधि में माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात (GER) 80.2% तक पहुँच गया है, जैसा कि UDISE रिपोर्ट में दर्ज है।
  - देशभर के 97.5 प्रतिशत विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालय की सुविधा उपलब्ध है।

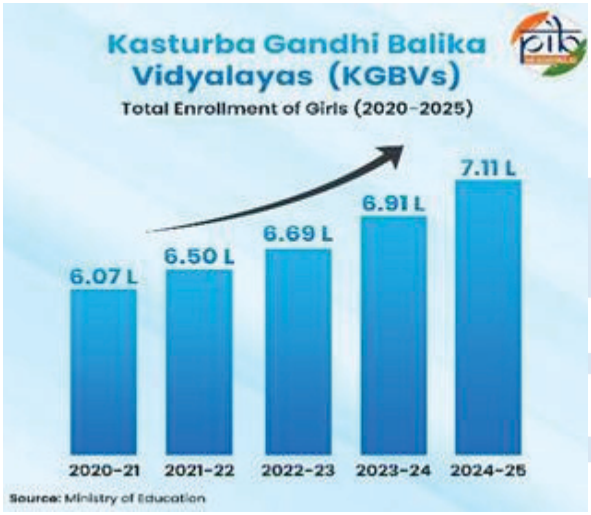

- **बाल विवाह की रोकथाम:** जनवरी 2026 तक कुल 2,153 बाल विवाह रोके गए हैं और देशभर में 60,262 बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
- **मासिक धर्म देखभाल:**

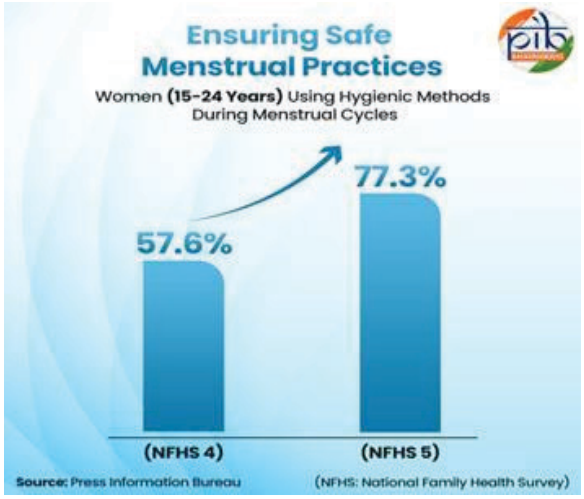

- **सुकन्या समृद्धि योजना (SSY):** 2024 तक देशभर में 4.2 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं, जो इस योजना में जनसहभागिता और विश्वास को दर्शाता है।

आगे की राह

- **सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा:** *बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ* जैसी अभियान जारी रहनी चाहिए, ताकि बालिका के महत्व और लैंगिक भेदभाव के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़े।
- **महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार:** विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बालिकाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना, महिला मृत्यु दर को कम करने में सहायक होगा।
- **सामाजिक मानदंड और दृष्टिकोण में परिवर्तन:** लैंगिक-संवेदनशील शिक्षा को बढ़ावा देना, पुरुषों को लैंगिक समानता की चर्चाओं में शामिल करना और दहेज प्रथा का उन्मूलन करना पारंपरिक पक्षपात को तोड़ने में सहायता करेगा।
- **सुदृढ़ आँकड़ा संग्रह और अनुसंधान:** लिंगानुपात असंतुलन के पीछे के कारणों की सतत निगरानी और अनुसंधान भविष्य की नीतियों को बेहतर बनाने एवं वर्तमान पहलों की सफलता को ट्रैक करने में सहायक होगा।

स्रोत: PIB

2024-25 में विदेशों में स्थित 71 भगोड़े (Fugitives)

संदर्भ

- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने विदेशों में भारत द्वारा वांछित 71 व्यक्तियों का पता लगाया, जो विगत 12 वर्षों में सबसे अधिक है।

परिचय

- **भगोड़े(Fugitives)** वे व्यक्ति होते हैं जो किसी अपराध के आरोपी या दोषी होते हैं और जिस देश में अपराध किया गया है, वहाँ की न्यायिक प्रक्रिया से जानबूझकर बचने के लिए भाग जाते हैं।

- वे गिरफ्तारी, मुकदमे, दोषसिद्धि या कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा दंड से बचने के लिए पलायन करते हैं। उनकी वापसी के लिए एक विधिक रूप से मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय तंत्र आवश्यक होता है, जिसे प्रत्यर्पण कहा जाता है।

प्रत्यर्पण क्या है?

- प्रत्यर्पण विदेशों से भगोड़ों की समयबद्ध वापसी के लिए मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय तंत्र है।
- इसे परिभाषित किया गया है कि — *"किसी आरोपी या दोषसिद्ध व्यक्ति को उस देश से, जहाँ वह पाया गया है, उस देश को सौंपना जिसने उसका प्रत्यर्पण अनुरोध किया है।"*
- यह प्रक्रिया संधियों और समझौतों द्वारा संचालित होती है, जो भगोड़ों के समर्पण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विधिक सिद्धांतों को अपनाती हैं।
- **प्रत्यर्पण अनुरोध:**
  - विगत पाँच वर्षों में भारत ने विदेशी देशों को 137 प्रत्यर्पण अनुरोध भेजे हैं, जिनमें से अधिकांश स्वीकार किए गए हैं, परंतु अभी लंबित हैं।
  - **लेटर रोगेटरी (Letters Rogatory)** में लगातार विलंब होता रहा है। वर्ष 2025 तक विदेशी देशों में 533 लेटर रोगेटरी लंबित थे।

प्रत्यर्पण को नियंत्रित करने वाला संस्थागत ढाँचा

- **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI):** भारत के इंटरपोल राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करता है, इंटरपोल नोटिस जारी करता है और विदेशी पुलिस एजेंसियों के साथ मिलकर भगोड़ों का पता लगाता है।
- **विदेश मंत्रालय:** प्रत्यर्पण और आपसी विधिक सहायता से संबंधित राजनयिक संवाद का प्रबंधन करता है।
  - भारत के लगभग 48 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियाँ और 12 देशों के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्थाएँ हैं।
- **आपसी विधिक सहायता संधि (MLAT):** यह एक तंत्र है जिसके माध्यम से देश अपराध की रोकथाम, दमन, जाँच एवं अभियोजन में औपचारिक सहायता प्रदान करने और प्राप्त करने के लिए सहयोग करते हैं।
  - **उद्देश्य:** यह सुनिश्चित करना कि अपराधी विभिन्न देशों में उपलब्ध साक्ष्यों के अभाव में कानून की प्रक्रिया से बच न सकें या उसे बाधित न कर सकें।
- **लेटर रोगेटरी (LRs):** ये भारतीय न्यायालय से विदेशी न्यायालय को न्यायिक सहायता हेतु औपचारिक अनुरोध होते हैं, जैसे साक्ष्य संग्रह, सम्मन की सेवा।
  - यह राजनयिक चैनलों के माध्यम से किया जाता है और सामान्यतः MLAT की तुलना में धीमा होता है।

प्रत्यर्पण का विधिक ढाँचा

- भारत में प्रत्यर्पण(Extradition), *प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962* द्वारा शासित है, जो संधियों या कार्यकारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत भगोड़ों को सौंपने या प्राप्त करने का विधिक आधार प्रदान करता है।
- भारत बहुपक्षीय अभिसमयों का भी पक्षकार है, जैसे:
  - संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी अभिसमय
  - संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध विरोधी अभिसमय
- **भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA):** यह कानून आर्थिक अपराधियों को भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने और भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने से रोकने के लिए बनाया गया।
  - इस अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय को उन भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को संलग्न करने का अधिकार है, जो भारत से गिरफ्तारी वारंट से बचकर भाग गए हैं, और उनकी संपत्तियों को केंद्र सरकार के पक्ष में जब्त करने का प्रावधान है।

प्रत्यर्पण में संरचनात्मक चुनौतियाँ

- **विदेशी न्यायालयों में न्यायिक समीक्षा:** विदेशी न्यायालय स्वतंत्र रूप से प्रत्यर्पण अनुरोधों, कारागार स्थितियों और मानवाधिकार सुरक्षा उपायों की जाँच करते हैं।
  - ये मूल्यांकन प्रायः भारतीय अनुरोधों से संबंधित प्रत्यर्पण कार्यवाही को लंबा या बाधित कर देते हैं।
- **शरण और राजनीतिक संरक्षण दावे:** कई भगोड़े राजनीतिक उत्पीड़न का दावा करते हैं या मेजबान देशों में शरण लेते हैं, जिससे आपराधिक कार्यवाही जटिल विधिक और मानवीय विवादों में बदल जाती है।
- **कुछ न्यायक्षेत्रों के साथ संधियों का अभाव:** कई भगोड़े उन देशों में रहते हैं जिनके साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है, जिससे कानूनी रूप से उनकी वापसी सुनिश्चित करने की भारत की क्षमता सीमित हो जाती है।
- **पुरानी संधि संरचनाएँ:** पुरानी संधियाँ प्रतिबंधात्मक सूची प्रणाली का पालन करती हैं, जिसमें साइबर अपराध और जटिल वित्तीय धोखाधड़ी जैसे आधुनिक अपराध शामिल नहीं होते।

शासन और सुरक्षा पर प्रभाव

- **कानून के शासन पर प्रभाव:** कम प्रत्यर्पण परिणाम आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के विरुद्ध निवारक क्षमता को कमजोर करते हैं तथा अपराधियों को घरेलू न्यायिक प्रक्रिया से बचने हेतु विदेश भागने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
- **आंतरिक सुरक्षा और वित्तीय अखंडता:** विलंबित प्रत्यर्पण भारत के धन शोधन, भ्रष्टाचार और संगठित अपराध से लड़ने के प्रयासों को बाधित करता है, साथ ही आपराधिक न्याय प्रणाली में जनविश्वास को भी कमजोर करता है।

आगे की राह

- भारत को अपने प्रत्यर्पण संधि नेटवर्क का विस्तार करना चाहिए, विशेषकर प्रमुख वित्तीय केंद्रों के साथ, और लंबित मामलों को शीघ्रता से निपटाने हेतु सतत राजनयिक संवाद करना चाहिए।
- विदेशी न्यायालयों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने और भारत की प्रत्यर्पण विश्वसनीयता को सुदृढ़ करने के लिए कारागार अवसंरचना में सुधार, समयबद्ध मुकदमे एवं प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करना आवश्यक है।

स्रोत: TH

एक जिला एक उत्पाद (ODOP)

संदर्भ

- एक जिला एक उत्पाद (ODOP) पहल ने पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देकर परिवर्तनकारी प्रभाव के 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं।

परिचय

- ODOP पहल, जिसे उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा संचालित किया गया है, का उद्देश्य प्रत्येक जिले की विशिष्ट आर्थिक क्षमता को उजागर करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना तथा स्थानीय कारीगरों को राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनाना है।
- **ODOP के अंतर्गत उत्पाद चयन ढाँचा:** उत्पादों का चयन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बुनियादी स्तर पर उपलब्ध पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर किया जाता है तथा अंतिम सूची DPIIT को प्रेषित की जाती है।
- ODOP की शुरुआत 2018 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की पीतल कला से हुई थी और तब से यह पूरे देश में विस्तारित हो चुका है।
- अब तक ODOP ने देशभर के 775 जिलों से 1243 उत्पादों की पहचान की है, जो वस्त्र, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और अन्य विभिन्न क्षेत्रों को समाहित करते हैं।

ODOP को प्रोत्साहन देने हेतु सरकारी पहल

- **ई-कॉमर्स पहल:** सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM)-ODOP बाज़ार के माध्यम से भारत के श्रेष्ठ ODOP उत्पादों को व्यापक बाजारों में प्रदर्शित किया जा रहा है, जिससे कारीगरों को सशक्त बनाया जा रहा है और बाजार तक उनकी पहुँच बढ़ रही है।
- **पीएम एकता मॉल (Unity Malls):** इन्हें ODOP, GI और हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने और बेचने के लिए समर्पित खुदरा एवं प्रदर्शन केंद्र के रूप में परिकल्पित किया गया है।

- **ODOP का वैश्विक विस्तार:**
  - 80+ भारतीय मिशनों ने विदेशों में प्रदर्शनियों, प्रदर्शनों, ODOP दीवारों या राजनयिक उपहारों के माध्यम से उत्पादों को बढ़ावा दिया है।
  - ODOP उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने हेतु उन्हें G-20 बैठकों के दौरान उपहारों का हिस्सा बनाया गया।

- तीन अंतर्राष्ट्रीय स्टोर ODOP उत्पादों की बिक्री कर रहे हैं (02 सिंगापुर में — मुस्तफ़ा सेंटर और कश्मीर हेरिटेज में, तथा 01 कुवैत में — हकीमी सेंटर), जिससे विदेशी बाजारों में स्थायी उपस्थिति मजबूत हुई है।
- **जिला को निर्यात केंद्र (DEH) पहल:** देश के सभी जिलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों सहित सभी हितधारकों के परामर्श से की जाती है।

योजना का महत्व

- **संतुलित क्षेत्रीय विकास:** ODOP पहल औद्योगिक गतिविधियों का विकेंद्रीकरण करके और जिला-विशिष्ट क्षमताओं का उपयोग करके समान आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है।
- **कारीगरों का सशक्तिकरण:** वित्त, कौशल विकास, तकनीक और बाजार संपर्क तक पहुँच प्रदान करके ODOP स्थानीय कारीगरों एवं शिल्पकारों को उत्पादन बढ़ाने तथा आय सुधारने में सक्षम बनाता है।
- **विरासत का संरक्षण:** यह पहल पारंपरिक शिल्प, स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों और सांस्कृतिक उद्योगों का समर्थन करती है, जिससे भारत की समृद्ध शिल्प विरासत का संरक्षण सुनिश्चित होता है।
- **आर्थिक प्रभाव:** ODOP स्थानीय मूल्य श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करता है, औपचारिकता को प्रोत्साहित करता है और बुनियादी स्तर पर समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास में योगदान देता है।
- **वैश्विक पहचान:** जिला-विशिष्ट उत्पादों को वैश्विक दृश्यता प्राप्त होती है, जिससे भारत गुणवत्ता, विविधता और शिल्प कौशल का केंद्र बनता है।

निष्कर्ष

- एक जिला एक उत्पाद पहल ने स्थानीय कौशल को आर्थिक विकास, राष्ट्रीय पहचान और वैश्विक अवसरों के इंजन में परिवर्तित कर दिया है।
- अब यह केवल जिला-विशिष्ट उत्पादों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि उन लाखों आकांक्षाओं का प्रतीक है जिन्हें अपने गाँवों से कहीं दूर पहचान मिल रही है।

स्रोत: PIB

संक्षिप्त समाचार

सोम्यनारायण पेरुमल मंदिर

संदर्भ

- प्रधानमंत्री मोदी ने सोम्यनारायण पेरुमल मंदिर के पुजारियों से भेंट की।

परिचय

- **स्थान:** तिरुकोष्टियूर, शिवगंगई ज़िला, तमिलनाडु।
- **धार्मिक महत्व:** यह मंदिर 108 दिव्य देशमों में से एक है, जो भगवान विष्णु को समर्पित सबसे पवित्र वैष्णव मंदिरों में गिना जाता है।
  - यह वैष्णव परंपरा के इतिहास में एक प्रतिष्ठित स्थान रखता है।
- **ऐतिहासिक महत्व:** यही वह पवित्र स्थान है जहाँ श्री रामानुज ने अपने गुरु के निर्देशों के विपरीत, लोगों को मोक्ष दिलाने हेतु सार्वजनिक रूप से नारायण मंत्र का उद्घोष किया।

स्थापत्य विशेषताएँ

- मंदिर का निर्माण चोल स्थापत्य शैली में हुआ है।
- इसमें अद्वितीय तीन-स्तरीय गर्भगृह है, जो भगवान विष्णु की विभिन्न मुद्राओं का प्रतिनिधित्व करता है:
  - **भूमि स्तर:** नृत्यरत रूप में भगवान कृष्ण।
  - **प्रथम स्तर:** शयन मुद्रा में विष्णु।
  - **शीर्ष स्तर:** खड़े रूप में विष्णु।
- मंदिर का शिखर दुर्लभ *अष्टांग विमान* से अलंकृत है। भारत में केवल कुछ ही विष्णु मंदिरों में यह विशिष्ट विमान पाया जाता है।

स्रोत: PIB

ग्रंथ कुटीर

संदर्भ

- भारत के राष्ट्रपति ने ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया।

परिचय

- ग्रंथ कुटीर राष्ट्रपति भवन में स्थित एक पुस्तकालय है, जिसमें लगभग 2,300 पुस्तकें और लगभग 50 पांडुलिपियाँ संग्रहित हैं।

- ये पांडुलिपियाँ 11 भारतीय शास्त्रीय भाषाओं — तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला — में उपलब्ध हैं।
- यह संग्रह भारत की सांस्कृतिक, दार्शनिक, साहित्यिक और बौद्धिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है।
- विषयों में महाकाव्य, दर्शन, भाषाविज्ञान, इतिहास, शासन, विज्ञान, भक्ति साहित्य और शास्त्रीय भाषाओं में भारतीय संविधान शामिल हैं।
- कई पांडुलिपियाँ पारंपरिक सामग्रियों जैसे ताड़पत्र, कागज, छाल और कपड़े पर हस्तलिखित हैं।
- ग्रंथ कुटीर *ज्ञान भारतम् मिशन* की दृष्टि का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य भारत की पांडुलिपि विरासत का संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रसार करना है, जिससे परंपरा एवं आधुनिक तकनीक का समन्वय हो सके।

संस्थागत सहयोग

- इसे केंद्र एवं राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, सांस्कृतिक संगठनों और व्यक्तिगत योगदानकर्ताओं के सहयोग से विकसित किया गया है।
- शिक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय द्वारा समर्थित।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) पांडुलिपि संरक्षण, दस्तावेज़ीकरण, प्रबंधन और प्रदर्शन में विशेषज्ञता प्रदान करता है।

स्रोत: PIB

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

संदर्भ

- भारत के राष्ट्रपति ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसे *पराक्रम दिवस* के रूप में मनाया जाता है।

परिचय

- नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- उन्होंने महात्मा गांधी को प्रथम बार "राष्ट्रपिता" कहकर संबोधित किया था, अपने सिंगापुर के भाषण में।
- **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस:**
  - वे 1938 और 1939 में दो बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए।
  - महात्मा गांधी से वैचारिक मतभेदों के कारण उन्होंने त्यागपत्र दिया और *फॉरवर्ड ब्लॉक* का गठन किया, जो कट्टरपंथी परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध था।
- **आज़ाद हिंद रेडियो (1942):**
  - उन्होंने जर्मनी में आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की, ताकि भारतीयों तक पहुँचकर स्वतंत्रता का संदेश पहुँचा सकें।
  - उन्होंने कई देशभक्ति के नारे दिए, जैसे — *"जय हिंद"*, *"दिल्ली चलो"*, और *"तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा"*।
- **भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) का गठन:**
  - 1942 में उन्होंने जापानी सहयोग से INA का गठन किया।
  - INA का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई द्वारा भारत की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना था।
- **आज़ाद हिंद सरकार:**
  - 1943 में नेताजी ने अंडमान और निकोबार द्वीपों का नाम क्रमशः *"शहीद"* एवं *"स्वराज"* रखा।
  - 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने *स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार (आज़ाद हिंद सरकार)* की स्थापना की घोषणा की।
  - माना जाता है कि 1945 में ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया।
- **विरासत:**
  - 2018 में अंडमान द्वीप समूह के रॉस द्वीप का नाम बदलकर *नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप* रखा गया।
  - लाल किले स्थित *क्रांति मंदिर संग्रहालय* में नेताजी और INA से संबंधित ऐतिहासिक सामग्री संरक्षित है।
  - 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा इंडिया गेट, नई दिल्ली के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया।

स्रोत: PIB

वंदे मातरम् और राष्ट्रीय सम्मान पर परिचर्चा

संदर्भ

- गृह मंत्रालय यह विचार कर रहा है कि क्या वंदे मातरम् को औपचारिक प्रोटोकॉल द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए और अपमान की स्थिति में दंडनीय बनाया जाना चाहिए, ठीक उसी प्रकार जैसे राष्ट्रीय गान *जन गण मन* के लिए प्रावधान हैं।

परिचय

- संविधान सभा ने वंदे मातरम् को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया, जिसे राष्ट्रीय गान के समान सम्मान प्राप्त है, लेकिन कानूनी दृष्टि से दोनों का समान उपचार नहीं है।
- **राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971:** यह अधिनियम राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान को वैधानिक संरक्षण प्रदान करता है।
  - इस अधिनियम में वंदे मातरम् के अपमान के लिए कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है।

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 51A(a) मौलिक कर्तव्य:** प्रत्येक नागरिक को संविधान का पालन करने तथा उसके आदर्शों व संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करने का निर्देश देता है।
- **स्पष्ट संवैधानिक संरक्षण का अभाव:** राष्ट्रीय गान के विपरीत, वंदे मातरम् को किसी संवैधानिक प्रावधान द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं किया गया है।
  - इसका दर्जा संविधान सभा के प्रस्तावों से प्राप्त होता है, न कि किसी लागू संवैधानिक पाठ से।

वंदे मातरम्

- वंदे मातरम् का रचनाकर्म बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में किया था और यह प्रथम बार 1882 में *आनंदमठ* उपन्यास में प्रकाशित हुआ।
  - *आनंदमठ* की पृष्ठभूमि 1769–73 के बंगाल अकाल और संन्यासी विद्रोह पर आधारित है।
- 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा सर्वप्रथम गाया गया, जिससे इसे राष्ट्रीय पहचान मिली।
- 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम् नागरिक प्रतिरोध का गान बनकर उभरा।
  - वंदे मातरम् को राजनीतिक नारे के रूप में सर्वप्रथम 7 अगस्त 1905 को प्रयोग किया गया।
- **राष्ट्रीय गीत:** 24 जनवरी 1950 को इसकी प्रथम दो पंक्तियों को भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया।

स्रोत: IE

डोनबास

संदर्भ

- अबू धाबी में शांति वार्ता के दौरान अमेरिका, रूस और यूक्रेन मिले, लेकिन रूस एवं यूक्रेन डोनेत्स्क के भविष्य को लेकर गहरे मतभेद में बने हुए हैं।

डोनेत्स्क

- डोनेत्स्क उन चार यूक्रेनी क्षेत्रों में से एक है, जिन्हें रूस ने 2022 में विवादित जनमत संग्रह के बाद अपने में मिलाने का दावा किया।
- यूक्रेन, पश्चिमी देशों और अधिकांश विश्व डोनेत्स्क को यूक्रेन का भाग मानते हैं।
- रूस डोनेत्स्क को अपने "ऐतिहासिक भू-भाग" का हिस्सा बताता है।

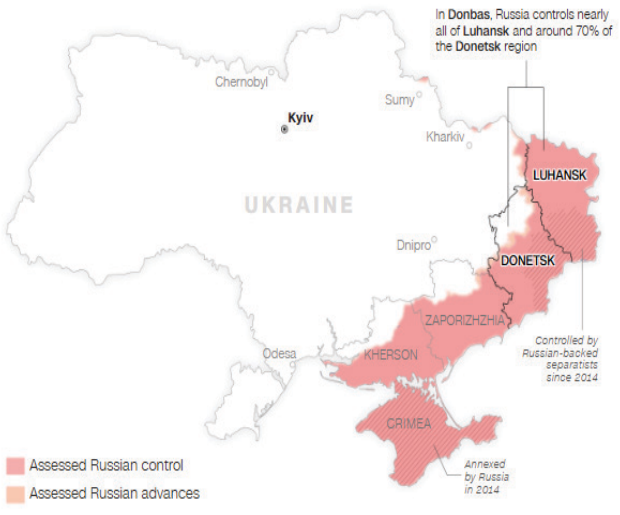

डोनबास

- सामूहिक रूप से डोनबास कहलाने वाले डोनेत्स्क और लुहान्स्क क्षेत्र कोयला-समृद्ध पूर्वी यूक्रेन के औद्योगिक केंद्र रहे हैं।
- यह क्षेत्र नदियों और कृत्रिम नहरों द्वारा आज़ोव सागर से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यह अपनी उपजाऊ कृषि भूमि और खनिज संपदा के लिए भी प्रसिद्ध है।
- रूसी सैनिक लगभग पूरे लुहान्स्क क्षेत्र पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन वे केवल 70% डोनेत्स्क पर नियंत्रण कर पाए हैं।
- **वैधानिक स्थिति:** यूक्रेन के संविधान के अनुसार, क्षेत्रीय परिवर्तन जनमत संग्रह द्वारा ही तय किए जा सकते हैं, जिसे कम से कम दो-तिहाई यूक्रेनी क्षेत्रों में 30 लाख योग्य मतदाताओं के हस्ताक्षर मिलने पर बुलाया जा सकता है।

स्रोत: IE

फ्रांज़ एडेलमैन पुरस्कार

संदर्भ

- खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) अपनी *अन्न चक्र* पहल के लिए प्रतिष्ठित 2026 फ्रांज़ एडेलमैन पुरस्कार के छह अंतिम उम्मीदवारों में शामिल हुआ है।

अन्न चक्र पहल

- अन्न चक्र एक परिचालन अनुसंधान (O.R.) आधारित निर्णय समर्थन समाधान है, जो भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को राज्य-विशिष्ट लॉजिस्टिक्स को अनुकूलित करके सुदृढ़ बनाता है।
- इसे भारत में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) और IIT दिल्ली के सहयोग से विकसित किया गया है।
- इसे 2025 में भारत में खाद्यान्नों की आवाजाही को सुदृढ़ करने के लिए शुरू किया गया।
- इसके राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने से प्राप्त हुए लाभ:
  - अनुमानित वार्षिक बचत: ₹250 करोड़।
  - उत्सर्जन में 35% की कमी, जो भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं का समर्थन करती है।
  - दक्षता में वृद्धि, जिससे 81 करोड़ से अधिक PDS लाभार्थियों, विशेषकर सबसे कमजोर वर्गों को लाभ मिला।

फ्रांज़ एडेलमैन पुरस्कार

- यह परिचालन अनुसंधान (OR) और उन्नत विश्लेषण के क्षेत्र में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है।
- इसे परिचालन अनुसंधान और विश्लेषण का "नोबेल पुरस्कार" भी कहा जाता है।
- **संस्थापक:** INFORMS (इंस्टीट्यूट फॉर ऑपरेशंस रिसर्च एंड द मैनेजमेंट साइंसेज), जो विश्लेषण और OR का वैश्विक पेशेवर संगठन है।
- इसका नाम फ्रांज़ एडेलमैन के नाम पर रखा गया है, जो प्रबंधन विज्ञान और परिचालन अनुसंधान के अग्रणी थे।
- यह पुरस्कार परिचालन अनुसंधान, उन्नत विश्लेषण, गणितीय मॉडलिंग और डेटा-आधारित निर्णय लेने के वास्तविक, उच्च-प्रभाव वाले अनुप्रयोगों को मान्यता देता है।

स्रोत: PIB

उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस

संदर्भ

- प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएँ दीं।

परिचय

- औपनिवेशिक काल के दौरान इस क्षेत्र को *यूनाइटेड प्रोविंसेज़ ऑफ आगरा एंड अवध* कहा जाता था।
- 1935 में इसका नाम संक्षिप्त कर *यूनाइटेड प्रोविंसेज़* कर दिया गया।
- 24 जनवरी 1950 को *यूनाइटेड प्रोविंसेज़* का नाम बदलकर *उत्तर प्रदेश* रखा गया।
- राज्य की सीमाएँ उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं पूर्व में बिहार से मिलती हैं।
- इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है।

- यह भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है।
- इसे भारत का *"शुगर बाउल"* कहा जाता है क्योंकि यह देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है।
- प्रमुख नदियाँ: गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, राप्ती, सोन, बेतवा, केन।

स्रोत: PIB

यस बैंक शेयर बिक्री में इनसाइडर ट्रेडिंग की त्रुटियाँ : SEBI की चेतावनी

संदर्भ

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने PwC और EY सहित कई अधिकारियों पर 2022 में यस बैंक की शेयर बिक्री से संबंधित इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है।

इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है?

- इनसाइडर ट्रेडिंग का अर्थ है किसी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी की प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय उस समय करना जब व्यक्ति के पास ऐसी *महत्वपूर्ण जानकारी* हो जो अभी सार्वजनिक नहीं हुई है।
- *महत्वपूर्ण जानकारी* से आशय ऐसी किसी भी सूचना से है जो निवेशक के निर्णय पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है कि उसे प्रतिभूति खरीदनी है या बेचनी है।
- यह SEBI (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015 के अंतर्गत प्रतिबंधित है।

इनसाइडर ट्रेडिंग का प्रभाव

- **वित्तीय बाजार पर:**
  - निष्पक्ष मूल्य खोज तंत्र को विकृत करता है।
  - सूचित अंदरूनी व्यक्तियों और सामान्य निवेशकों के बीच असमानता उत्पन्न करता है।
- **निवेशकों पर:**
  - छोटे और खुदरा निवेशक सूचना असमानता के कारण हानि उठाते हैं।
  - पूंजी बाजार की अखंडता पर विश्वास कम होता है।

स्रोत: TH

प्रकाश गंगा झाँकी

संदर्भ

- विद्युत मंत्रालय 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में *"प्रकाश गंगा: आत्मनिर्भर और विकसित भारत को ऊर्जा प्रदान करते हुए"* शीर्षक वाली झाँकी प्रदर्शित करेगा।

परिचय

- यह झाँकी भारत की यात्रा को दर्शाती है — सार्वभौमिक विद्युत पहुँच प्राप्त करने से लेकर वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा खिलाड़ी के रूप में उभरने तक।
- *प्रकाश गंगा* — जिसका अर्थ है *"प्रकाश की नदी"* — राष्ट्रीय ग्रिड में शक्ति के निरंतर और निर्बाध प्रवाह का प्रतीक है।

झाँकी की प्रमुख विशेषताएँ

- एक रोबोटिक स्मार्ट मीटर मॉडल, जिसके साथ पवन टरबाइन जनरेटर प्रदर्शित होंगे, जो डिजिटल तकनीकों, स्वचालन और स्मार्ट समाधानों के एकीकरण को दर्शाते हैं।
- केंद्रीय भाग में *"स्मार्ट पावर, स्मार्ट होम"* की अवधारणा को छत पर सौर संयंत्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।
- एक विशाल ट्रांसमिशन संरचना अंतिम छोर तक विद्युत पहुँच को दर्शाती है, जबकि ईवी चार्जिंग स्टेशन और इलेक्ट्रिक स्कूटर स्वच्छ गतिशीलता एवं सतत परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाने में विद्युत क्षेत्र की भूमिका को प्रदर्शित करते हैं।

स्रोत: PIB

■■■■